

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना

As on Report January 2016

क्र.सं.	योजना के बिन्दू	योजना का विवरण
1	संक्षिप्त परिचय	मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु व संस्थागत प्रसव में वृद्धि किये जाने तथा प्रसूताओं व 30 दिवस की उम्र तक के बीमार नवजात शिशुओं पर चिकित्सा खर्च के बोझ को कम किये जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को सभी चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
2	प्रारम्भ होने का वर्ष	12 सितम्बर 2011
3	लाभान्वित वर्ग	सभी वर्ग की गर्भवती महिलाएँ एवं प्रसूताएँ तथा 30 दिवस की उम्र तक के बीमार नवजात शिशु ।
4	पात्रता	गर्भवती महिलाएँ एवं 30 दिवस की उम्र तक के बीमार नवजात शिशु ।
5	देय सुविधाएँ	<p>गर्भवती महिलाओं के लिए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निःशुल्क संस्थागत प्रसव। 2. आवश्यकतानुसार निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव। 3. निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री। 4. निःशुल्क जॉच सुविधाएँ। 5. निःशुल्क भोजन। 6. निःशुल्क रक्त सुविधा। 7. निःशुल्क रैफरल सुविधा। 8. यूजर चार्जस से छूट। <p>बिमारी नवजात शिशुओं के लिए (30 दिवस की उम्र तक)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निःशुल्क ईलाज। 2. निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री। 3. निःशुल्क जॉच सुविधाएँ। 4. निःशुल्क रक्त सुविधा। 5. निःशुल्क रैफरल सुविधा। 6. यूजर चार्जस से छूट।
6	आवेदन का तरीका	राजकीय चिकित्सालयों में प्रसव एवं उपचार कराया जाना।
7	आवेदन कहाँ किया जावे	जिस राजकीय संस्थान पर प्रसव एवं उपचार कराया गया है।
8	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रभारी जहाँ प्रसव एवं उपचार कराया गया है।